## यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गंगापुर (भीलवाड़ा)

राजस्व लोक अदालत : न्याय आपके द्वार 2018 / केम्प कोर्ट केम्प मु0 सहाड़ा

पीठासीन अधिकारी राजलक्ष्मी गहलोत (आर.ए.एस.)

**प्रकरण संख्या :—142 / 2016 रे.वाद**

**अन्तर्गत धारा :—88, 188 आर.टी.एक्ट**

अनवान

1. प्यारचन्द पिता चमना जाट निवासी सहाड़ा, तहसील सहाडा जिला भीलवाडा

——वादी

बनाम

1. उदयलाल पिता मोहनलाल राव
2. ओमप्रकाश पिता मोहनलाल राव
3. मूलचन्द पिता नानुराम जाट
4. प्रकाशचन्द्र पिता डालचन्द जाट
5. शिवलाल पिता डालचन्द जाट
6. मु0 कैलाशी पुत्री डालचन्द जाट
7. मु0 देऊ बाई पत्नि डालचन्द जाट
8. मु0 चान्दी पत्नि नानुराम जाट
9. शंकरलाल पिता गणेश सुथार
10. रामपाल पिता बिहारी सुथार
11. भैरू पिता बिहारी सुथार
12. मु0 रामी बेवा बिहारी सुथार

    सर्व निवासी सहाड़ा तहसील सहाड़ जिला भीलवाड़ा।
13. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब सहाडा मु0गंगापुर जिला भीलवाडा

——प्रतिवादीगण

**वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.ए.**

निर्णय दिनांक 22.05.2018

पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वारा 2018 के तहत मु0 सहाड़ा प्रस्तुत हुई। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.ए. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सहाड़ा तहसील सहाडा के बैरून हल्का आबादी की साबिक आराजी संख्या 1738 रकबा 1.04 बीघा भूमि अन्य आराजियात के साथ खातेदार मोहनलाल पिता रंगलाल राव निवासी सहाड़ा के नाम खातेदारी हक अधिकार से सम्वत 2026 से 2029 मे दर्ज रेकॉर्ड थी।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

तत्कालीन खातेदार मोहनलाल ने उक्त आराजी में से 0.04 बिस्वा भूमि दिनांक .02.73 को वादी को बिल एवज 95/– रूपयें मे विक्रय कर उसी दिन विक्रय पत्र निष्पादित करवा मौके पर वादी को कब्जा सिपुर्द रि विक्रय मूल की राशि प्राप्त कर ली। विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 1192 वादी के पक्ष में दिनांक 08.04.73 को फेसल किया गया जिसके आधार पर नामान्तरकरण का इन्द्राज 2026 से 2029 में किया गया।

विक्रय पत्र के आधार पर वादी ने विक्रेता मोहनलाल से 0.04 बिस्वा भूमि क्रय की जो विक्रयशुदा आराजी का 1/6 हिस्सा है लेकिन जमाबन्दी में इन्द्राज करते समय पटवारी हल्का द्वारा सेवन से हिस्सा 1/8 अंकित कर दिया गया जो उक्त जमाबन्दी के पश्चात से आगे की रोटेशन की जमाबन्दी के पश्चात से आगे की रोटेशन की जमाबन्दीयों में 1/8 हिस्सा ही दर्ज हो गया जबकि उक्त में आराजी में वादी का 1/6 हिस्सा निहीत है। भू प्रबन्ध की कार्यवाही के दौरान ग्राम सहाड़ा के साबिक आराजी संख्या 1738 रकबा 1.04 बीघा के नवीन नम्बर 4684, 4685, 4686, 4687, 4688, 4689, 4690 कुल किता 07 रकबा 0.26है0 कायम किये गये। मिलान क्षैत्रफल की नकल संलग्न है। वादी का हिस्सा गलत दर्ज कर देने से अन्य खातेदारान का हिस्सा बढ गया है।

वादी ने वाद पत्र में प्रार्थना की है कि इन्द्राज दुरूस्ती एवं खातेदारी अधिकार की घोषणात्मक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी फरमाई जावे कि ग्राम सहाड़ा की हाल आराजी संख्या 4684, 4685, 4686, 4687, 4688, 4689, 4690 कुल किता 07 रकबा 0.26है0 भूमि में वादी का 1/6 हिस्सा निहीत हौकर उसका खातेदार है अतः उक्तानुसार इन्द्राज राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जावें। वादी ने वाद पत्र में यह भी रिलीफ चाही हैं कि स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी फरमाई जावे कि ग्राम सहाड़ा की हाल आराजी संख्या 4684, 4685, 4686, 4687, 4688, 4689, 4690 कुल किता 07 रकबा 0.26है0 भूमि में निहीत उसके 1/6 हिस्से से बेदखल नही करें तथा इस भूमियों में निहीत वादी के हिस्से को जो गलत रूप से प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हो गया है जो किसी अन्य को रहन बय बक्षीस या अन्य किसी तरीके से हस्तान्तरित नही करें।

वादी का वाद पत्र इस न्यायालय में दिनांक 06.09.2016 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये।



सहायक कलक्टर

वादी की और से प्रतिवादी संख्या 03 से 12 के विरूद्ध कोई कार्यवाही नही चाहने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी न0 03 से 12 के नाम वाद पत्र से डिलिट करने के आदेश दिये जाते है। प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 की और से जवाब पेश नही किया जाने से जवाब बन्द किया जाता है। वरवक्त सुनवाई वादी की और से लोक अदालत की भावना से प्रकरण में राजीनामा करने हेतु प्रार्थना पत्र के साथ राजीनामा प्रपत्र प्रस्तुत किया।

प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार वादग्रस्त आराजियात में वादी 1/8 हिस्से दर्ज है जिसे 1/6 हिस्सा दर्ज किया जावें व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 11/24 हिस्सा दर्ज किया जावें। शेष हिस्सा यथावत रहेगा।

पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। चूंकि पक्षकारान द्वारा प्रकरण में राजीनामा प्रस्तुत किया गया है तथा राजीनामा तस्दीक किया जा चुका हैं। अतः अब इस प्रकरण में गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित नही किया जाकर प्रस्तुत राजीनामे के आधार पर निर्णय किया जाना है।

मैंने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। ग्राम सहाड़ा की जमाबन्दी सम्वत 2026 से 2029 में आराजी नम्बर 1738 रकबा 1–04 भूमि अन्य आराजियात के साथ खातेदार मोहनलाल पिता रंगलाल राव निवासी सहाड़ा के नाम दर्ज रेकार्ड है। मिलान क्षैत्रफल के अनुसार ग्राम सहाड़ा के आराजी नम्बर 1738 मी0 रकबा 1–04 बीघा के हाल नम्बर 4684, 4685, 4686, 4687, 4688, 4689, 4690 कुल किता 07 रकबा 0.26है0 भूमि बनने की पुष्टि होती है। तत्कालीन खातेदार मोहनलाल पिता रंगलाल राव निवासी सहाड़ा द्वारा आराजी नम्बर 1738 मी0 रकबा 1–04 बीघा मे से 0–04 बिस्वा भूमि वादी प्यारचन्द पिता चमना जाट नि0 सहाड़ा को दिनांक 04.02.73 को विक्रय किया जाना विक्रय पत्र से पाया जाता है। विक्रय पत्र की फोटो प्रति पत्रावली में संलग्न है। उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रकरण में प्रस्तुत राजीनामे के आधार पर वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.ए. का स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता हैं। अतएवं

## –: आदेश :–

वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.ए. का स्वीकार किया जाता है तथा वादी को ग्राम सहाड़ा के आराजी नम्बर 4684, 4685, 4686, 4687, 4688, 4689,

सहायक कलेक्टर

4690 कुल किता 07 रकबा 0.26है0 भूमि में वादी को 1/8 हिस्सा के बजाय 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं तथा डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 2 व 13 के विरूद्ध इस आशय की जारी की जाती है कि वादी का नाम ग्राम सहाड़ा के वर्तमान राजस्व रेकार्ड में 1/8 हिस्से के बजाय 1/6 हिस्से से संशोधित दर्ज किया जावें व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 11/24 हिस्सा दर्ज किया जावें। तहसीलदार सहाड़ा तद्नुसार रेकार्ड में अमल दरामद करें। पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा "वादग्रस्त आराजियात में वर्तमान में वादी 1/8 हिस्स दर्ज है जिसे 1/6 हिस्सा दर्ज किया जावें व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 11/24 हिस्सा दर्ज किया जावें शेष हिस्सा यथावत रहेगा"।

उक्त राजीनामा इस आदेश का भाग माना जावें। तद्नुसार डिक्री जारी हो। निर्णय मेरें द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी गंगापुर

सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी गंगापुर
गंगापुर जिला भीलवाडा (राज.)